।। कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत बांसवाडा जिला बांसवाडा ।।

क्रमांक :– 1342

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला बांसवाडा।

दिनांक :– 15/9/18

विषय :– राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद क्रमाक 0918067431853 श्री नागेश कुमार, निवासी बांसवाडा दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 21.08.2018 मे प्रकाशित छपी खबर बिना गिरफतारी बताये 5 दिन तक रखा यातनाए दी, डरे तीन युवको ने देर रात बैरक में चेन से गला घोंट किया खुदकुशी का प्रयास करने के सम्बंध मे।

प्रसंग :– श्रीमान के पत्र क्रमाक बांस/अप/ परि/2018/4521 दिनांक 08.09.2018 की पालना मे।

महोदयजी

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र मे निवेदन है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद क्रमाक 0918067431853 श्री नागेश कुमार, निवासी बांसवाडा दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 21.08.2018 मे प्रकाशित छपी खबर बिना गिरफतारी बताये 5 दिन तक रखा यातनाए दी, डरे तीन युवको ने देर रात बैरक में चेन से गला घोंट किया खुदकुशी का प्रयास करने के सम्बंध मे जांच शुरू की

दौराने जांच थाना कोतवाली से इस सम्बध में रेकार्ड दिनांक 21.08.2018 पर दर्ज रपट संख्या 04 आमद गश्त से नारायण सिंह सउनि दिनांक 20.08.2018 समय 9.15 एएम हाजरी रोल कॉल एवं सन्तरी पेहरा ड्युटी, एवं मोबाइल गश्त मे रवानगी, वापसी की नकले रपटे एवं प्रकरण संख्या 320/2018 की एफ आई आर एवं श्री अक्षय पिता कचरू जाति मईडा भील निवासी पिपलवा की फर्द गिरफ्तारी एवं विधि से संघर्षरत बालक श्री आशीष पिता रामचन्द्र जाति डावी आदीवासी निवासी पिपलोद थाना कोतवाली की फर्द डिटेन की प्रमाणित फोटो कॉपी प्राप्त की एवं बयान श्री नारायण सिंह सउनि, श्री हरिराम कानि न. 276, श्री रामरतन कानि न 820, श्री सुनिल कानि न. 534, श्री प्रविण कुमार कानि न 908, श्री अनिल कुमार कानि न 481, श्री रामसिंह हैड कानि न. 300, श्री रमेश चन्द्र कानि न 362,अक्षय पुत्र कचरू जाति मईडा निवासी पीपलवा,सुरज पुत्र विठला आदिवासी निवासी निचला घण्टाला थाना कोतवाली बॉसवाडा के बयान लियें गये एवं श्री शैतान सिंह पु.नि तत्कालिन थानाधिकारी कोतवाली के बयान स्पष्टीकरण लिये लिये जाकर शमिल जांच की गई।

सम्पूर्ण जांच से यह पाया गया कि दिनांक 21.08.2018 की सुवह 8.00 एएम तक श्री नारायण सिंह सउनि, की थाना कोतवाली पर डी.ओ. ड्युटी होने से रात्रि गश्त हेतु थाने से मय जाप्ते के रवाना हो गश्त करते हुए डायलाव तालाब के नजदीक तीन व्यक्ति सदिग्ध अवस्था में मिले जिस पर सउनि के पुछताछ पर कोई संतोषप्रद जवाब नही देने के कारण थाने पर लाये जिनके नाम पता पुछे तो श्री आशिष पिता रामचन्द्र निवासी पिपलोद, अक्षय पिता कचरू निवासी पिपलवा, श्री सूरज पिता विट्ला निवासी निचला घंटाला थाना कोतवाली के होना बताया। जो आपस में एक दुसरे पर आरोप लगा रहे थे की तेरी वजह से हम पकडा गये है, एक दुसरे को आपस मे कह रहे थे की जिंदा नही छोडेगें उक्त तीनो व्यक्तिाओ को समझाईश की परन्तु इसी दौरान तीनो ही एक दुसरे से गुतम गुथा हो गये आशिष व अक्षय ने सूरज की फेंट पकड खिचातानी करी जिन्हें बमुश्किल अलग किया एक दुसरे को जान से मारने बाबत चेतावनी देते हुए लडाई झगडे पर उतारू हो गये और देखने पर सूरज के गले पर मामूली खून निकला हुआ देखा तो ताजा खरोज के निशान थे खून आपस मे झगडने के कारण आया। इसी प्रकार आशिष व अक्षय के शरीर पर भी नाखून के खरोज आयी यह खरोजे एक दुसरे के आपस मे गुतम गुथा होने के कारण आयी थी। जिस पर श्री नारायण सिंह सउनि के साथ-रामसिंह हैड कानि

Scanned by CamScanner

300 व रमणलाल कानि न 787, रमेश कानि न 362, विश्वेन्द्र कानि न 897, रामस्वरूप कानि 869, मय उक्त तीन व्यक्तिओ को वास्ते उपचार हेतु एमजीएच बांसवाडा लेकर रवाना हुए बाद उपचार के हर तीनो को थाने पर लेकर आये एवं स्वागत कक्ष में निगरानी मे रख कर पुछताछ की गई तो दोराने अनुसंधान थाना हाजा के प्रकरण संख्या 320/18 धारा 457, 380 भादसं में मतलुब होने से श्री अक्षय पिता कचरू जाति मईडा आदीवासी उम्र 20 साल निवासी पिपलवा को दिनांक 21.08.2018 को 4. 40पीएम पर गिरफ्तार किया गया एवं श्री आशीष पिता स्व रामचन्द्र जाति डावी उम्र 16 साल निवासी पिपलोद को डिटेन किया गया एवं सूरज पिता विठ्ला जाति आदिवासी निवासी निचला घंटाला थाना कोतवाली को चोरी के मामले मे लिप्त नही होने से उसके परिवाजन को तलब कर सुपूर्द किया गया। तीनो एक दुसरे पर आरोप लगाते हुए एक दुसरे का आपरा मे गुतम गुथा होने से मामूली चोटे आयी थी जिसका उपचार करवाया गया था।

सम्पूर्ण जांच से दिनांक 21.08.2018 को दैनिक भास्कर समाचार पत्रिका मे मे प्रकाशित खबर " **बिना गिरफतारी बताये 5 दिन तक रखा यातनाए दी, डरे तीन युवको ने देर रात बैरक में चेन से गला घोंट किया खुदकुशी का प्रयास किया** " की पुष्टि नही होती है। अतः रिर्पोट श्रीमान की सेवामें पेश है।

भवदीय

(घनश्याम शर्मा)
वृताधिकारी
वृत बांसवाडा

Scanned by CamScanner